राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सातवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।

फा0सं0 5(01) 2019–20 क0सं0 एवं भाषा/ 1968-2048 **दिनांक :** 07/09/2022.

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली,

विषयः "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2022 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश।

महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्येश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जाते है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय–समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किए जाते है। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है, अतः आवश्यक है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किए जाने चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2022 को **"हिन्दी दिवस"** अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली के संदेश को अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिए परिचालित करें। इस पत्र के साथ कुछ सूक्तियों भी संलग्न हैं।

भवदीया,
(प्रोमिला मित्रा)
उप–सचिव (कला,संस्कृति एवं भाषा)
दिनांकः 07/09/22

फा0सं0 5(01)2019–2020–क0सं0एवं भा0/ 1968-2048
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, पांचवा तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तृतीय तल, एन.डी.सी.सी II भवन, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–01।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला एंव सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली।
7. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
12. प्रबंधक(मा.सं), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एन भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली–02
13. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस बिल्डिंग, विश्वास नगर दिल्ली।
14. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
15. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियॉ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
17. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में/गार्ड फाइल

(प्रोमिला मित्रा)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

नरेश कुमार, भा.प्र.से.
NARESH KUMAR, I.A.S

मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
Chief Secretary
Government of NCT of Delhi

सत्यमेव जयते

फा॰ स॰ 05(01)/2014-15/क॰स॰ भा॰/2049

दिनांक :- 07/9/2022.

संदेश

"हिन्दी दिवस"

14 सितम्बर, 2022

हिन्दी दिवस पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान सभा द्वारा 14.9.1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाते है।

एक राष्ट्र के रूप में भारत बड़ी संख्या में भाषाओं और बोलियों में समृद्व है तथा अपनी पंहुच, सादगी और स्वीकार्यता के चलते हिन्दी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। क्षेत्र, धर्म और संस्कृति की बाधाओं को पार करके इसने भारत संघ की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। अभिव्यक्ति और संचार के माध्यमों में इसकी सहज स्वीकार्यता के कारण सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने हिन्दी के और अधिक विकास को संभव बना दिया है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अब कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकारी कामकाज हिन्दी में किए जाने की दिशा में प्रगति हो रही है, परंतु यह प्रगति यथेष्ट नहीं है। अतः हमे इसे और आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास करने होंगे ।

दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2022 के महत्वपूर्ण अवसर को अपने स्तर पर अधिकाधिक उत्साहपूर्वक मनाते हुए हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़े का आयोजन करना चाहिए।

मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से भी यह अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने के लिए प्रेरित करें। आइये हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर–राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनो रूपों में हिन्दी के विकास के प्रति हम अपने आपको समर्पित करें। सभी अधिकारियो /कर्मचारियों को यह निश्चय करना चाहिए कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

नरेश कुमार

(नरेश कुमार)
मुख्य सचिव, दिल्ली

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002, फोन : 011-23392100, 011-23392101, फैक्स : 011-23392102

DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002, Tel. : 011-23392100, 011-23392101 Fax : 011-23392102
E-mail : csdelhi@nic.in

हिन्दी भाषा से संबंधित सूक्तियां

1. हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है।
2. हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।
3. हिन्दी अपनाइये, देश का गौरव बढाइये।
4. हिन्दी में काम करना सरल है आज ही शुरू कीजिए।
5. हिन्दी के माध्यम से ही राष्ट्र को एक सूत्र में बॉधा जा सकता है।
6. हिन्दी में काम करना बहुत आसान, समझाना आसान।
7. हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी पहचान है। आइये इसका प्रयोग करके इसको सम्मान दे।
8. भारत की सभी भाषाएं बढ़े। संघ का काम हिन्दी में करें।
9. राष्ट्रीय एकता की कुंजी है हिन्दी।
10. हिन्दी हम सबकी अपनी ही भाषा है, इसके प्रयोग में संकोच क्यों?
11. हिन्दी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय एकता का माध्यम है।
12. हिन्दी में सोचें, हिन्दी में लिखें।
13. सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग गौरव की बात है।
14. हिन्दी में काम करते समय सरल भाषा अपनाएं।
15. हिन्दी अपनाएं, देश का मान बढ़ाए।
16. हम सब का अभिमान है हिन्दी, भारत की आशा है हिन्दी।
17. हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
18. हिन्दी भाषा को बढ़ावा दीजिए। राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिये।
19. राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।